उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–17 सन् 2020)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने, महामारी रोगों या अन्य संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने से सम्बंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए

अधिनियम

चूँकि वर्तमान कोविड–19 महामारी और ऐसे अन्य रोग जैसी परिस्थितियों में लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के प्रति सरकार तथा लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न हो जाती है; और

चूँकि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की किसी परिस्थिति का पूर्णतः तथा प्रभावी रूप में सामना करने के लिए विधिक और प्रशासनिक ढॉचा अपर्याप्त है; और

चूँकि पीड़ित व्यक्तियों की प्रभावी जॉच, पृथक्करण और उपचार के लिए उपबंध करना आवश्यक है; और

चूँकि राज्य द्वारा कृत महामारी तथा ऐसे अन्य रोग नियंत्रण संबंधी उपायों के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चूक करने एवं व्यवधान डालने हेतु प्रभावी तथा भयकारी शास्तियों का उपबंध करना आवश्यक है; और

चूँकि ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रभावी तंत्र तथा अन्य ढॉचा सृजित करने का उपबंध करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह दिनांक 11 मई, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2 (1) जबतक संदर्भ से अन्यथा प्रकट न हो, इस अधिनियम में;

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 से है;

(ख) 'पीडित व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो महामारी या ऐसे अन्य रोग से पीड़ित हो;

(ग) 'सशर्त मुक्त किया जाना' का तात्पर्य संचलन करने, लोक बैठक करने, सामाजिक दूरी बनाये रखने, कतिपय मध्यस्थता ग्रहण करने अथवा ऐसी अन्य शर्तों, जैसाकि प्राधिकरण या उपचारकर्ता चिकित्सक अधिरोपित करने हेतु उचित समझे, के सम्बन्ध में अनिवार्य उपचार के पश्चात किसी व्यक्ति को मुक्त किये जाने से है;

(घ) 'अनिवार्य उपचार' वह उपचार है जो उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा परिनिश्चित किया जाय और जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रोटोकॉल के अनुसार हो;

(ङ.) 'जिला प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 5(2) के अधीन गठित जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है;

(च) 'महामारी' रोग का तात्पर्य ऐसे रोग से है जो सांसर्गिक या संक्रामक है, और जिससे सम्पूर्ण राज्य या उसका आंशिक भाग पीड़ित हो या उसमें व्याप्त हो;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ज) 'स्वास्थ्य सेवा कर्मी' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो महामारी से संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपना कर्तव्य करने के दौरान प्रभावित रोगियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों के सीधे सम्पर्क में आ सकता है और जिसके कारण वह ऐसे रोग से प्रभावित होने के जोखिम के अंतर्गत हो, जिसमें कोई साधारण व्यक्ति तथा नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यथा चिकित्सक, नर्स, पराचिकित्सीय कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी, रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव का रोकथाम करने का उपाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति, और सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस रूप में घोषित कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(झ) 'पृथक्करण' का तात्पर्य महामारी या ऐसे अन्य रोग से प्रभावित किसी व्यक्ति के पृथक्करण से है जिससे कि रोग या संक्रमण को फैलने से रोका जा सके;

(ञ) 'लाक डाउन' में निम्नलिखित सम्मिलित हैंः—

(1) कतिपय शर्तों सहित प्रतिबन्ध अथवा सड़कों या प्रदेश के भीतर जलमार्गों पर किसी प्रकार के परिवहन के संचालन पर पूर्ण प्रतिषेध;

(2) किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर व्यक्तियों के संचलन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध;

(3) ऐसी शर्तों, जैसाकि आवश्यक समझा जाय, के साथ कारखानों, संयत्रों, खनन या निर्माण या कार्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं/बाजार स्थलों सम्बन्धी कार्यों को प्रतिषिद्ध करना या प्रतिबन्धित करना;

(ट) 'संगरोध' का तात्पर्य किसी संदिग्ध या बीमार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पृथक करना है, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के किसी संचरण से रोका जा सके;

(ठ) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन बनायी गयी महामारी नियंत्रण विनियमावली से है;

(ड) 'परिक्षेत्र के बंदी' का तात्पर्य संक्रमण को अन्य परिक्षेत्रों में फैलने से रोकने और उपचार तथा अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से ऐसे किसी क्षेत्र को पृथक करने से है जिसके लिए यह विश्वास किया जाता है कि सक्रिय रूप से संक्रमित व्यक्ति घर में रहेंगे;

(ढ) 'सामाजिक दूरी' का तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से ऐसी शारीरिक दूरी बनाये रखने से है, जैसाकि यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, आदेश द्वारा निदेश दे अथवा जैसाकि धारा 4 के अधीन बनायी गयी महामारी नियंत्रण विनियमावली के अधीन विहित किया जाय;

(ण) 'राज्य प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 5 (1) के अधीन गठित राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960), महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन्

1974) और आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो कमशः ऐसे अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित है।

महामारी के प्रादुर्भाव होने की उद्घोषणा

3 (1) यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी महामारी का प्रादुर्भाव हो गया है और यह कि विधि तथा चिकित्सा व्यवसाय के सामान्य उपबन्ध, रोग के प्रसार को रोकने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त न हों तो वह गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु यह उद्घोषणा जारी कर सकती है कि राज्य या उसका आंशिक भाग महामारी से प्रभावित हो गया है;

(2) ऐसी उद्घोषणा प्रारम्भिक रूप में तीन माह की अवधि के लिए रहेगी किन्तु उसमें ऐसी अन्य अवधि तक के लिए वृद्धि की जा सकती है जैसाकि सरकार लोकहित में उचित समझे।

उद्घोषणा के दौरान सरकार की शक्तियॉ

4 (1) सरकार महामारी के प्रसार के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण या उपचार के लिए महामारी नियंत्रण विनियमावली बना सकती है;

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्मित विनियमावली, धारा 3 के अधीन उद्घोषणा के अस्तितव में रहने के दौरान प्रवृत्त रहेगी;

(3) विनियमावली में ऐसे समस्त आकस्मिक व्ययों को उपबन्ध किया जा सकता है जो महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के दौरान उद्भूत हो सकते हैं;

(4) सरकार, आदेश द्वारा, महामारी रोग के प्रसार की रोकथाम तथा नियंत्रण रखने अथवा प्रभावी उपचार का उपलब्ध करने के उद्देश्य से स्थिति के अनुसार पृथक्करण, संगरोध, परिक्षेत्र बंदी, लाक डाउन प्रकृति के प्रतिबंध अथवा समान प्रकृति के ऐसे कोई प्रतिबंध, जैसाकि वह उचित समझे, विहित कर सकती है;

(5) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार रेल द्वारा या अन्यथा रूप में यात्रा करने वाले अथवा विमानपत्तनों पर पहुॅचने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए और ऐसे किसी रोग से संक्रमित होने के संबंध में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा संदिग्ध माने गये व्यक्तियों के चिकित्सालय में पृथक्करण, अस्थायी वास या अन्यथा के लिए कदम उठा सकती है, और विनियमावली विहित कर सकती है।

राज्य तथा जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण

5 (1) एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगेः—

1—	माननीय मुख्यमंत्री,	अध्यक्ष
2—	माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	उपाध्यक्ष
3—	मुख्य सचिव,	संयोजक
4—	पुलिस महानिदेशक,	सदस्य
5—	प्रमुख सचिव (गृह),	सदस्य
6—	प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य),	सदस्य सचिव
7—	प्रमुख सचिव (वित्त),	सदस्य
8—	राहत आयुक्त,	सदस्य
9—	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,	सदस्य

(2) एक जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगेः—

1—	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2—	जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अन्यून कोई अधिकारी जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
3—	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

राज्य तथा जिला प्राधिकरण की शक्तियॉ एवं कृत्य

6 (1) राज्य प्राधिकरण की शक्तियॉ एवं कृत्य निम्नवत् हैंः—

(क) यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों में सरकार को परामर्श देगी;

(ख) यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य या उसके किसी भाग में उठाये जाने वाले एक समान उपायों के लिए आदेश दे सकती है;

(ग) यह केन्द्र सरकार अथवा उसके प्राधिकारियों और अन्य राज्य सरकारों तथा उनके प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा;

(घ) यह जिला प्राधिकरण या चिकित्सालयों अथवा महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण या पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के संबंध में नियोजित अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आदेश या प्रोटोकॉल को जारी कर सकता है।

(ड.) यदि राज्य प्राधिकरण पूर्वोक्त विषय में कोई आदेश पारित किया हो तो जिला प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिकूल आदेश, असंगति की सीमातक निष्प्रभावी होगा।

(2) किसी जिला प्राधिकरण की शक्तियॉ एवं कृत्य निम्नवत् होंगेः—

(क) महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला में विभिन्न विभागों के कियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जब प्रतिबन्ध प्रवर्तित हों तब उस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक कार्य के लिए आवश्यक सेवायें सुगमतापूर्वक तथा पर्याप्त रूप में की जायं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि जिला में लोक व्यवस्था अनुरक्षित है;

(ड.) समस्त सरकारी या राज्य प्राधिकरण के आदेशों को सुगमतापूर्वक कियान्वित किया जाय;

(च) जिला प्राधिकरण के पास ऐसी शक्तियॉ होंगी कि वह गृह परिदान सेवाओं, रसद भण्डारों अथवा आवश्यक वस्तुओं के अन्य व्यापारियों, सब्जी के थोक विक्रेताओं या स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के साथ आपूर्तियाँ बनाये रखने के लिए व्यवस्था करे;

(छ) जिला प्राधिकरण सामाजिक दूरी बनाये रखने अथवा सार्वजनिक स्थलों पर अथवा संगरोध के दौरान अन्य सावधानियाँ रखने के लिए निर्देश जारी कर सकता है;

(ज) जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ कोई भूमि या भवन अधियाचित कर सकता है;

(झ) जिला प्राधिकरण टेण्ट निर्माण या स्थायी संरचना उतनी संख्या में, जितना ऐसे अधियाचन में विनिर्दिष्ट किया जाय, परिनिर्मित करने हेतु टेण्ट निर्माण या स्थायी संरचना का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन से अपेक्षा कर सकता है;

(ञ) जिला प्राधिकरण किसी व्यक्ति या संगठन से, जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाय, मोटरयान, अन्य चल सम्पत्ति या संसाधनों को अधियाचित कर सकता है और इस प्रकरण का अपेक्षित व्यक्ति को तत्परतापूर्वक अनुपालन करना होगा।

(ट) जिला प्राधिकरण निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों की सेवायें अधियाचित कर सकता है;

(ठ) जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ निजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें अधियाचित कर सकता है;

(ड) जिला प्राधिकरण, उक्त प्रयोजनार्थ स्वयंसेवी सामाजिक कर्मियों की सेवायें ग्रहण कर सकता है तथा उन्हें संचालित कर सकता है।

लाक डाउन आदेश जारी करने की शक्ति

7 (1) सरकार या राज्य प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर लाकडाउन निदेशित करते हुए एक उद्घोषणा जारी कर सकता है जैसाकि उद्घोषण में विनिर्दिष्ट किया जाय;

(2) कोई जिला प्राधिकरण जिला में पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रभावी करने के लिए उपधारा (1) में यथा उल्लिखित लाक डाउन आदेश भी जारी कर सकता है;

(3) इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए निदेश, किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों या सामान्यतः किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में प्रायः आने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को दिया जा सकता है;

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश, धारा 3 के अधीन महामारी की उद्घोषणा की अवधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

अफवाह आदि के संबंध में सरकार की शक्ति

8 सरकार अफवाह, मिथ्या खबर या मिथ्या सूचना या संत्राश की रोकथाम करने के उद्देश्य से महामारी के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने संबंधी मार्गदर्शी–सिद्धान्त जारी कर सकती है।

किसी पीड़ित व्यक्ति का पता लगाने का उपाय करने की शक्ति

9 (1) सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति का पता करने के लिए पुरस्कार घोषित कर सकता है, जो खोज से भाग रहा हो या अन्यथा रूप में अपनी उपस्थिति को छुपा रहा हो;

(2) प्राधिकरण, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति की खोज करे और उसे उपचार केन्द्र पर लाये;

(3) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की खोज करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जैसाकि वह उचित समझे, जिसमें सम्भावित परिक्षेत्रों में घोषणा किया जाना और ऐसे प्रमुख स्थानों पर अथवा ऐसे स्थानों पर जहॉ पर उसका विद्यमान होगा संभाव्य हो, अथवा रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या विमानपत्तनों पर उसके बचने से रोकथाम के लिए फोटोग्राफ और अन्य विवरण चिपकाया जाना सम्मिलित है;

(4) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी पीड़ित व्यक्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति पर समुचित कार्यवाही करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरणों या अन्य राज्य सरकारों को उद्घोषणा जारी कर सकता है।

पीड़ित व्यक्ति को उपचार आदि के लिए ले जाना

10 प्राधिकरण द्वारा अधियाचन या उद्घोषणा की नोटिस के अनुपालन में खोज किये गये किसी व्यक्ति को उपचार केन्द्र पर लाया जा सकता है और इस प्रकार खोज किया जाना या उपचार केन्द्र में प्रतिधारित किया जाना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनार्थ गिरफ्तारी नहीं मानी जायेगी।

किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति

11 (1) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या पुलिस आयुक्त किसी अधियाचन के अनुपालन में किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसका पता लगाने हेतु किसी स्थान पर स्वयं प्रवेश कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

(2) ऐसा अधिकारी किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ या उसकी अतिशय सन्निकटता में पाये गये किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए घर या संगरोध केन्द्र पर स्वयं को संगरोधित करने के लिए कह सकता है।

मृत शरीरों का निस्तारण

12 अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार पीड़ित व्यक्तियों के मृत शरीरों का निस्तारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

क्षति या नुकसानों की वसूली

13 (1) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त सरकार यह आदेश दे सकती है कि सरकार द्वारा उपगत व्यय अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन के जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण आचरण या व्यवहार के कारण हुई क्षति या नुकसान की वसूली ऐसे व्यक्ति या संगठन से की जायेगी,

(2) तदोपरान्त ऐसी जांच, जैसाकि जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधि सम्मत होगाः—

(क) ऐसे व्यक्तियों की घोषणा करना, जिन्हें ऐसे दुराचरण से या के कारण चोट लगी हो, क्षति या नुकसान हुआ हो;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए संदत्त किये जाने हेतु प्रतिकर की धनराशि और

उनके मध्य आवंटित की जाने वाली धनराशि की रीति को नियत करना; और

(ग) उस अनुपात का निर्धारण करना जिस अनुपात में उक्त धनराशि का संदाय क्षति या नुकसान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या संगठन द्वारा किया जायेगा;

(3) कृत प्रत्येक या निर्धारण अथवा उपधारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश मण्डलायुक्त द्वारा पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा किन्तु यथापूर्वोक्त के सिवाय अन्तिम होगा;

(4) उपधारा (1) में यथाउल्लिखित कृत्य करने के परिणामस्वरूप जब कोई मृत्यु हो तो उक्त क्षति मृतक के सगे–सम्बन्धी को सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुग्रह धनराशि के संदाय के बराबर होगी;

(5) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर या क्षतियों का संदाय करने में विफल रहने पर ऐसी धनराशि की वसूली, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सहायता

14 पीड़ित व्यक्तियों अथवा नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण अन्य पीड़ित व्यक्तियों को सारभूत सहायता या वैयक्तिक सहायता प्रदान करने के इच्छुक कोई व्यक्ति या संगठन अभिकरण के माध्यम से और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसा कर सकता है और वह ऐसा स्वतंत्र रूप से या सीधे तौर पर नहीं करेगा।

छिपाव आदि के लिए दण्ड

15 जो कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं को छिपायेगा या पता लगाये जाने से बचेगा, ऐसी अवधि तक के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा के लिए दण्ड

16 जो कोई स्वयं को पीड़ित व्यक्ति जानते हुए अथवा किसी पीड़ित या संदिग्ध व्यक्ति की सन्निकटता में स्वयं होते हुए साशय हवाई, रेलवे या सार्वजनिक सड़क परिवहन या किसी अन्य सामान्य परिवहन द्वारा यात्रा करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

पृथक्करण आदेश का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

17 जो कोई संगरोध, पृथ्क्ककरण या चिकित्सालय में उपचार से सम्बन्धित किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि तक के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

चिकित्सालय से भाग जाने के लिए दण्ड

18 किसी चिकित्सालय में महामारी रोग उपचार के अधीन होते हुए जो कोई व्यक्ति चिकित्सालय से भाग जायेगा वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

अश्लील या अभद्र आचरण 19 जो कोई उपचार, पृथक्ककरण या संगरोध के अधीन होते हुए जान–बूझकर किसी अन्य अश्लील या अभद्र कृत्य या अशिष्ट कृत्य या हाव–भाव में लिप्त होगा, वह ऐसी अवधि के लिए करावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

उद्दीपन के लिए दण्ड 20 ऐसा कोई संगठन या निकाय या व्यक्ति, जो अधिनियम या विनियमावली के किसी उपबन्ध अथवा यथास्थिति किसी प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लघंन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपदेश देगा या अन्यथा उद्दीप्त करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पॉच वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो पचार हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

दोषपूर्ण प्रचार के लिए दण्ड 21 जो कोई किसी समुदाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिग्भ्रमित करने या अन्यथा रूप मे नुकसान पहुॅचाने के आशय से मिथ्या प्रकाशन करेगा या मिथ्या सूचना फैलायेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

प्राधिकारियों या अधिकारियों पर आक्रमण करना या उन्हें व्यवधान पहुँचाना 22

(1) जो कोई, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव को रोकने का उपाय करने के लिए सशक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने या पता लगाने में संलग्न व्यक्तियों या उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो पॉच वर्ष तक हो सकती है, से और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा

(2) जो कोई हिंसात्मक कार्य करने के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त किसी अन्य व्यक्ति, और खोजबीन करने, खोज करने या पता लगाने में संलग्न समस्त व्यक्तियों या उपचार करने या संगरोध करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों को गम्भीर क्षति पहुॅचायेगा, जैसाकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में परिभाषित है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पॉच लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

(3) जो कोई किसी सम्पत्ति की क्षति करेगा या हानि पहुॅचायेगा, वह ऐसी अवधि

के कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु पॉच वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

द्वेषपूर्ण आचरण 23 जो कोई इस बात के आशय से या उसकी जानकारी होते हुए कि इससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण या रोग फैल सकता है, कोई कृत्य करेगा या अविधिमान्य चूक करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माना से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण

जो कोई किसी चिकित्सक पर, या खोज करने या पता लगाने में, उपचार ग्रहण करने में संगरोध करने में, पृथक्करण करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों पर थूकेगा या किसी प्रकार की गन्दगी, मूत्र या मलमूत्र फेकेगा, वह इस धारा के अधीन अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

साशय उत्पीड़न के लिए दण्ड 24 जो कोई किसी व्यक्ति को किसी संक्रामक रोग से, साशय उत्पीड़ित करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पॉच वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

सामूहिक उत्पीड़न 25 जो कोई पॉच या उससे अधिक व्यक्तियों का साशय उत्पीड़न करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पॉच लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

यदि मृत्यु का कारण साशय उत्पीड़न हो 26 जो कोई धारा 24 या 25 के अधीन उत्पीड़न से मृत्यु का कारण बनेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक के लिए हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो तीन लाख रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पॉच लाख रूपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध न किये गये कृत्यों के लिए दण्ड 27 जो कोई इस अधिनियम या विनियमावली के किसी उपबन्ध अथवा इस अधिनियम के उद्देश्यों, जिनके लिए अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट दण्ड उपबन्धित न किया गया हो, को अग्रसर करने के लिए पारित आदेशों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छः माह तक हो सकती है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जों पचास हजार रूपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

दुष्प्रेरण 28 (क) जो कोई, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने और उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा;

(ख) किसी सम्पत्ति की क्षति या नुकसान करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा; तो ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो पॉच

वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचार हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

अपराध करने का प्रयास

29 जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करेगा, वह अपराध करने के लिए उपबन्धित न्यूनतम अवधि से अन्यून आधी अवधि की न्यूनतम अवधि तक के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा किन्तु जो तीन वर्ष अथवा उपबन्धित की गयी अधिकतम आधी अवधि, जो भी अधिक हो, तक हो सकती है।

संज्ञेय और अजमानतीय अपराध

30 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

31 (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी विनियमावली या नियमावली या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(2) इस अधिनियम या तद्धीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात द्वारा हुई या संभावित रूप में होने वाले किसी क्षति के लिए राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अन्य रोग या महामारी के संबंध में शक्ति

32 इस अधिनियम के उपबन्ध किसी महामारी रोग या जानवरों, पौधों के जीवन या फसल या जलीय प्राणियों को प्रभावित करने वाली महामारी या ऐसे अन्य रोगों के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

33 (1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उन्हें बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

34 (1) उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2020) एत्दद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।